अध्याय-5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका

अध्याय-5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका

5.1 प्रस्तावना

लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा सा क्षे उ) की स्थापना की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार की कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (स नि अ क) तथा सांविधिक निगमों को रा सा क्षे उ में शामिल किया गया हैं। यह अध्याय रा सा क्षे उ में निवेश, रा सा क्षे उ को बजटीय सहायता तथा रा सा क्षे उ द्वारा लेखा प्रस्तुत करने के वर्णन को दर्शाता है।

5.1.1 सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* चुकता अंश पूंजी, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा निवेश की गई हो तथा इसमें वह कम्पनी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य कम्पनी[1] को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी (स नि अ क)के रूप में संदर्भित किया गया है। सांविधिक निगमों की स्थापना विधायिका द्वारा अधिनियमित विधियों के तहत की जाती है।

5.1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कम्पनियों तथा स नि अ क की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के तहत सहपठित सीएजी (कर्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी, सांविधिक लेखाकार फर्मों को कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है तथा लेखों की लेखापरीक्षा करने की विधि पर दिशानिर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी एक पूरक लेखापरीक्षा भी कर सकता है। कुछ सांविधिक निगमों के निगमित क़ानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा की जाती है।

---

[1] कम्पनियाँ (कठिनाइयों को दूर करना), सातवां आदेश 2014 गजट अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा जारी किया गया।

5.1.3 रा सा क्षे उ की प्रकृति तथा अध्याय में उनका कार्य-क्षेत्र

31 मार्च 2022 को, उत्तराखण्ड राज्य में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 32 रा सा क्षे उ (27[2] सरकारी कम्पनियाँ, एक स नि अ क[3] तथा चार सांविधिक निगम[4]) थे। इनमें से नौ[5] सरकारी कम्पनियाँ निष्क्रिय[6] थीं (परिसमापन के अधीन सात[7] कम्पनियों सहित)। कोई भी रा सा क्षे उ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

यह प्रतिवेदन 2019-20 से 2021-22 (या इन वर्षों से सम्बन्धित कम से कम एक लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त) के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त लेखों के आधार पर 14 रा सा क्षे उ[8] के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अनुच्छेदों में सम्मिलित रा सा क्षे उ को **तालिका-5.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-5.1: इस प्रतिवेदन में शामिल रा सा क्षे उ का कार्य-क्षेत्र और स्वरूप

रा सा क्षे उ का वर्गीकरण	राज्य में कुल रा सा क्षे उ की संख्या	प्रतिवेदन में सम्मिलित रा सा क्षे उ की संख्या				रा सा क्षे उ की संख्या जो प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है
		तक खातों की प्राप्ति			योग	
		2021-22	2020-21	2019-20		
सक्रिय रा सा क्षे उ						
सरकारी कम्पनियाँ	18	02[9]	08[10]	01[11]	11	07[12]
स नि अ क	01	-	01[13]	-	01	-
सांविधिक निगम	04	-	01[14]	01[15]	02	02[16]
निष्क्रिय रा सा क्षे उ						
सरकारी कम्पनियाँ	09	-	-	-	-	09
कुल	**32**	**02**	**10**	**02**	**14**	**18**

[2] यूजेवीएन लिमिटेड (यू. जे. वी. एन.), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.), उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उ. पा. कॉ. लि.); पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.), देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दे. स्मा. सि. लि.), किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (कि. शु. क. लि.); उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (उ. प. वि. नि. नि. लि.); डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (डो. शु. क. लि.); किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कि. कॉ. लि.); एवं उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उ. पू. सै. क. नि. लि.), ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.), उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (उ. ब. वि. वि. नि. लि.), स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि.), कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड (कु. मं. वि. नि. लि.), गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड (ग. मं. वि. नि. लि.), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम (उ. अ. क. व. वि. नि.); सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (एस. प्ला. पा. लि.), उत्तराखण्ड ईकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (उ. ई. टू. डे. कॉ.) और नौ निष्क्रिय कम्पनियाँ।

[3] उत्तराखण्ड सीड्स और तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (उ. सी. त. डे. कॉ. लि.)।

[4] उत्तराखण्ड परिवहन निगम (उ. प. नि.), उत्तराखण्ड वन विकास निगम (उ. व. वि. नि.), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (पेयजल निगम) और उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम (उ. रा. भ. नि.)।

[5] यू. पी. ए. आई.; ट्रांस केबल्स लिमिटेड (ट्रां. के. लि.), कु. मं. वि. नि. लि. की सहायक कम्पनी; उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उ. प्र. डि. लि.), कु. मं. वि. नि. लि. की सहायक कम्पनी; कुमट्रॉन लिमिटेड (कुमट्रॉन), हिलट्रॉन की सहायक कम्पनी; उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिलट्रॉन), उत्तर प्रदेश हिल फ़ोन्स लिमिटेड (उ. प्र. हि. फ़ो. लि.), हिलट्रॉन की सहायक कम्पनी; उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड (उ. प्र. हि. क्वा. लि.), हिल्ट्रॉन की सहायक कम्पनी; ग. मं. वि. नि. लि. की सहायक कम्पनी, गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.); कुमाऊं अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि.), कु. मं. वि. नि. लि.की सहायक कम्पनी है।

[6] निष्क्रिय रा. सा. क्षे. उ. जो अपने संचालन को बंद कर चुका है।

[7] यू. पी. ए. आई., उ. प्र. डि. लि., कुमट्रॉन, हिलट्रॉन , उ. प्र. हि. फ़ो. लि., उ. प्र. हि. क्वा. लि. एवं ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.।

[8] प्रतिवेदन में शामिल रा सा क्षे उ के अलावा, नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ और नौ अन्य रा सा क्षे उ थे जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय तक बकाया थे (अर्थात 30 सितम्बर 2022 को वर्ष 2019-20 से पहले प्राप्त लेखे)।

[9] यू. जे. वी. एन. एवं उ. मे. रे. अ. इं. बि. क. कॉ. लि.।

[10] उ. पा. कॉ. लि., पा. ट्रां. कॉ. उ. लि. , दे. स्मा. सि. लि., कि. शु. क. लि., उ. प. वि. नि. नि. लि., डो. शु. क. लि., कि. कॉ. लि., एवं उ. पू. सै. क. नि. लि.।

[11] बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.।

[12] उ. ब. वि. वि. नि. लि., स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि., कु. मं. वि. नि. लि., ग मं. वि. नि. लि., उ. अ. क. व. वि. नि., एस. प्ला. पा. लि., एवं उ. ई. टी. डे. कॉ.।

[13] उ. सी. त. डे. कॉ. लि.।

[14] पेयजल निगम।

[15] उ. व. वि. नि.।

[16] उ. प. नि. एवं उ. रा. भ. नि.।

5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश तथा बजटीय सहायता।

31 मार्च 2022 तक रा सा क्षे उ में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य[17] द्वारा निवेश की गई पूंजी को **चार्ट-5.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-5.1: सरकारी कम्पनियों, स नि अ उ तथा सांविधिक निगमों में निवेश का संघटन

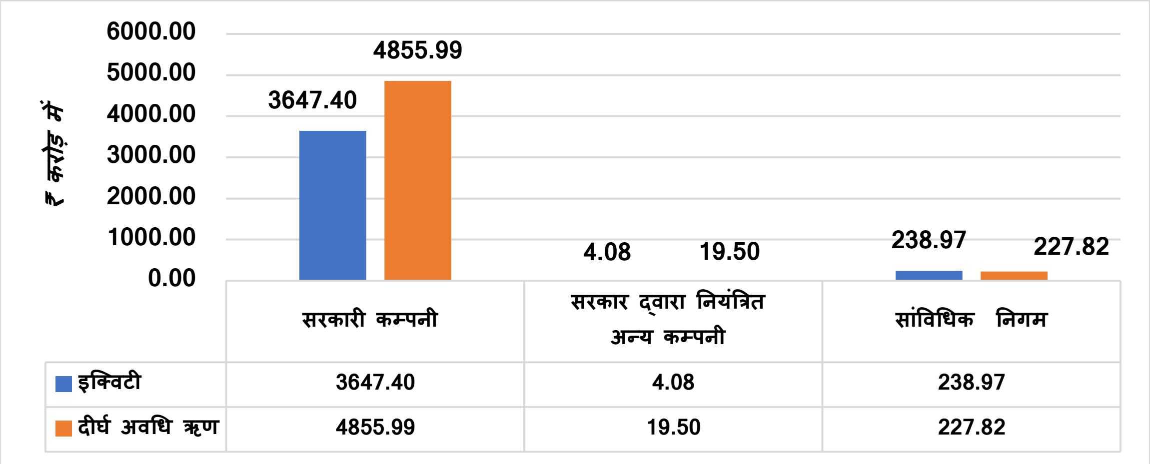

31 मार्च 2022 तक 32 रा सा क्षे उ में निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) का क्षेत्रवार सारांश **तालिका-5.2** में दिया गया है:

तालिका-5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	निवेश								कुल योग
		इक्विटी				दीर्घावधि ऋण [18]				
		उ.स.	केंद्र सरकार	अन्य	योग	उ.स.	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
रा सा क्षे उ जिन्होंने 2019-20 या उसके बाद तक अपने लेखे जमा किए *(परिशिष्ट-5.1)*										
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ	4	3522.47	0.00	5.00	3527.47	551.76	0.00	3990.51	4542.27	8069.74
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ	10	31.11	0.00	3.53	34.64	287.83	0.00	57.60	345.43	380.07
इस अध्याय में शामिल कुल रा सा क्षे उ	**14**	**3553.58**	**0.00**	**8.53**	**3562.11**	**839.59**	**0.00**	**4048.11**	**4887.70**	**8449.81**
रा सा क्षे उ जिन्होंने 2018-19 तक अपने लेखे प्रस्तुत किए *(परिशिष्ट-5.2)*										
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ	-	शून्य								
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ	18	302.66	15.41	10.27	328.34	130.24	18.56	66.81	215.61	543.95
इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये कुल रा सा क्षे उ	**18**	**302.66**	**15.41**	**10.27**	**328.34**	**130.24**	**18.56**	**66.81**	**215.61**	**543.95**
कुल योग	**32**	**3856.24**	**15.41**	**18.80**	**3890.45**	**969.83**	**18.56**	**4114.92**	**5103.31**	**8993.76**

स्रोत- वार्षिक लेखा तथा रा सा क्षे उ से प्राप्त सूचना।

---

17 'अन्य' में सूत्रधारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

18 लंबी अवधि के ऋणों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है

31 मार्च 2022 तक, विद्युत क्षेत्र के चार रा सा क्षे उ में कुल निवेश ₹ 8,069.74 करोड़ था। निवेश में 43.71 *प्रतिशत* इक्विटी तथा 56.29 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण शामिल था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण (₹ 551.76 करोड़), कुल दीर्घावधि ऋणों का 12.15 *प्रतिशत* है, जबकि 87.85 *प्रतिशत* (₹ 3,990.51 करोड़) वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे जैसा कि ***परिशिष्ट-5.1*** में वर्णित है।

31 मार्च 2022 तक, विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ के अलावा 28 अन्य रा सा क्षे उ में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 924.02 करोड़ था। निवेश में 39.28 प्रतिशत इक्विटी तथा 60.72 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण शामिल था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों का 74.52 *प्रतिशत* (₹ 418.07 करोड़) थे, जबकि 25.48 *प्रतिशत* (₹ 142.97 करोड़) वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे जैसा कि ***परिशिष्ट-5.1*** एवं ***5.2*** में वर्णित है।

5.2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तराखण्ड सरकार (उ. स.) वार्षिक बजट के माध्यम से रा सा क्षे उ को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए 14 रा सा क्षे उ (इस अध्याय में शामिल) के संबंध में प्रदत्त बजट (इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/ सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका-5.3** में दिया गया है:

तालिका-5.3: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान रा सा क्षे उ को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि
क. विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ						
i. इक्विटी पूंजी निर्गमन	3	133.19	3	142.59	3	100.91
ii. ऋण दिया	1	12.18	1	30.42	1	40.08[19]
iii. अनुदान/ सब्सिडी प्रदान की गई	1	24.38	1	0.10	1	2.94
कुल निर्गमन (i+ii+iii)	**3**	**169.75**	**3**	**173.11**	**3**	**143.93**
ख. विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ						
i. इक्विटी पूंजी निर्गमन	1	0.15	0	0.00	0	0.00
ii. ऋण दिया	0	0.00	0	0.00	0	0.00
iii. अनुदान/ सब्सिडी प्रदान की गई	5	1041.28	5	789.31	6	1264.31
कुल निर्गमन (i+ii+iii)	**6**	**1041.43**	5	**789.31**	6	**1264.31**
कुल योग	**9**	**1211.18**	8	**962.42**	9	**1408.24**

स्रोत- वार्षिक लेखा तथा रा सा क्षे उ से प्राप्त सूचना।

मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/ सब्सिडी के लिए बजटीय निर्गमन के विवरण चार्ट-5.2 में दिए गए हैं:

[19] बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए उ.स. से यू. जे. वी. एन. को ब्याज मुक्त ऋण, ऋण की अदायगी के लिए निबंधन एवं शर्तें लंबित।

चार्ट-5.2: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता

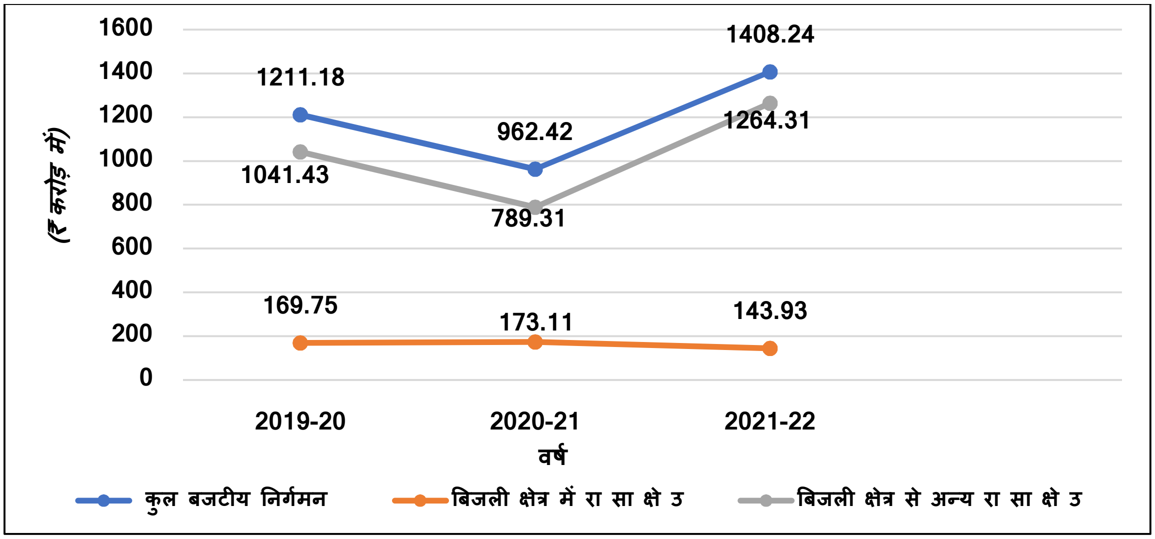

वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 169.75 करोड़, ₹ 173.11 करोड़ तथा ₹ 143.93 करोड़ थी। 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 143.93 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 100.91 करोड़, ₹ 40.08 करोड़ तथा ₹ 2.94 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ को वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 1041.43 करोड़, ₹ 789.31 करोड़ तथा ₹ 1264.31 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1264.31 करोड़ की बजटीय सहायता अनुदान/ सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुई। 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से दे. स्मा. सि. लि.[20] (₹ 115 करोड़), उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम[21] (₹ 1028.31 करोड़), डो. शु. क. लि.[22] (₹ 48.75 करोड़) तथा कि. शु. क. लि.[23] (₹ 60.25 करोड़) को अनुदान/ सब्सिडी प्रदान की गई ***(परिशिष्ट-5.3)***।

5.2.2 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे से समाधान

रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा बकाया प्रत्याभूति के आंकड़े उ. स. के वित्त लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुरूप होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित रा सा क्षे उ तथा वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2022 तक 14 रा सा क्षे उ (13 सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) के संबंध में इस तरह के अन्तर मौजूद हैं जैसा कि ***परिशिष्ट-5.4*** में वर्णित है तथा **तालिका-5.4** में संक्षेपित है।

---

[20] भारत सरकार. की स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट योजना के लिए।

[21] कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति देय राशि के राजस्व व्यय भुगतान हेतु ₹ 65.00 करोड़ एवं राज्य में अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹ 963.31 करोड़।

[22] किसानों को गन्ना भुगतान हेतु।

[23] किसानों को गन्ना भुगतान हेतु।

तालिका-5.4: उत्तराखण्ड़ सरकार के वित्त लेखाओं तथा रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

अदत्त	क्षेत्र	के अनुसार धनराशि		अन्तर
		रा सा क्षे उ	वित्त लेखे	
इक्विटी	विद्युत क्षेत्र	3517.47	3502.79	14.68
	विद्युत क्षेत्र के अलावा	331.03	300.63	30.40
	योग	**3848.50**	**3803.42**	**45.08**
ऋण	विद्युत क्षेत्र	551.76	380.04	171.72
	विद्युत क्षेत्र के अलावा	373.40	215.47	157.93
	योग	**925.16**	**595.51**	**329.65**
प्रत्याभूति	विद्युत क्षेत्र	122.21	122.21	0.00
	विद्युत क्षेत्र के अलावा	196.50[24]	1.25	195.25
	योग	**318.71**	**123.46**	**195.25**
कुल योग		**5092.37**	**4522.39**	**569.98**

स्रोत- वार्षिक वित्त लेखा तथा रा सा क्षे उ से प्राप्त जानकारी।

आंकड़ों के बीच अन्तर कई वर्षों से बना हुआ है। लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित रा सा क्षे उ तथा विभागों के साथ अन्तर के समाधान का मुद्दा भी उठाया गया था। तीन विद्युत क्षेत्र[25] के रा सा क्षे उ तथा चार विद्युत से अन्य क्षेत्र[26] के रा सा क्षे उ के शेषों में प्रमुख अन्तर देखा गया जैसा कि ***परिशिष्ट-5.4*** में वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने विभिन्न रा सा क्षे उ और अन्य निकायों की पुस्तकों में उपलब्ध वित्त खातों के ऋण और अग्रिम आंकड़ों के मिलान के संबंध में निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

5.2.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान

उत्तराखण्ड़ सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है, जिसके तहत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना होगा। रा सा क्षे उ, जहां उ. स. द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया था, द्वारा भुगतान किया गया लाभांश **तालिका-5.5** में दिखाया गया है।

तालिका-5.5: रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्षों	रा सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने लाभांश घोषित किया	दत्त पूंजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	2	3	4	5
2019-20	2	1,829.06	220.35	16.94
2020-21	2	1,941.65	178.56	44.87
2021-22	2	2,007.56	163.47	35.00

स्रोतः रा सा क्षे उ का नवीनतम वित्तीय विवरण।

---

24 डो. शु. क. लि. (₹ 77.00 करोड़) एवं कि. शु. क. लि. (₹ 119.50 करोड़)

25 यू. पा. कॉ. लि., पा. ट्रां. कॉ. उ. लि. एवं यू. जे. वी. एन.

26 उ. प. नि., स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि., कि. सु. क. लि. एवं डो. सु. क. लि.

2019-20 से 2021-22 के दौरान, यू.जे.वी.एन. तथा पा.ट्रां.कॉ.उ.लि. ने लाभांश का भुगतान/ घोषित किया। यू.जे.वी.एन. तथा पा.ट्रां.कॉ.उ.लि. ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी प्रतिधारित आय का क्रमशः 2.42 *प्रतिशत* तथा 1.71 *प्रतिशत* की दर से लाभांश का भुगतान/घोषणा की थी। अन्य छः रा सा क्षे उ[27] में से किसी ने भी लाभांश की घोषणा/ भुगतान नहीं किया था।

5.2.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में वर्णित 14 रा सा क्षे उ में से सात[28] रा सा क्षे उ की संचित हानि ₹ 4907.48 करोड़ थी, जिनमें से छः रा सा क्षे उ ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 216.35 करोड़ की हानि उठाई। इसके अलावा, एक रा सा क्षे उ नामतः उ.सी.त.डे.कॉ.लि. को वर्ष 2020-21 के नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार हानि नहीं हुई थी, हालांकि इसकी ₹ 24.84 करोड़ की संचित हानि थी।

इन सात रा सा क्षे उ का निवल मूल्य संचित घाटे के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया है तथा उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। ₹ 1503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष 31 मार्च 2022 तक इन रा सा क्षे उ का निवल मूल्य (-) ₹ 3,404.00 करोड़ था। सात रा सा क्षे उ, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, में से उ.सी.त.डे.कॉ.लि. नामक एक रा सा क्षे उ ने 2021-22 के दौरान ₹ 2.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। सात में से पांच[29] रा सा क्षे उ में, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, 31 मार्च 2022 तक उ.स. का बकाया ऋण ₹ 295.66 करोड़ था ***(परिशिष्ट-5.5)***।

5.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा प्रस्तुत करना

5.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार; एक सरकारी कम्पनी के कामकाज तथा कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक (वा आ बै) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति, सीएजी की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक प्रतिवेदन, के साथ विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वा आ बै आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि दो वा आ बै की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वा आ बै में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

---

[27] कि. का. लि., उ. पू. सै. क. नि. लि., उ. प. वि. नि. नि. लि., उ. व. वि. नि.

[28] उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि., दे. स्म. सि. लि., उ. पा. कॉ. लि., डो. सु. क. लि., कि. सु. क. लि., पेयजल निगम एवं उ. सी. त. डे. कॉ. लि..

[29] यू. पा. कॉ. लि., डो. सु. क. लि., कि. सु. क. लि., पेयजल निगम एवं उ. सी. त. डे. कॉ. लि..

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन न करने पर जिम्मेदार व्यक्तियों उसके निदेशकों सहित पर जुर्माना तथा कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान करती है।

31 मार्च 2022 तक उत्तराखण्ड में सीएजी के दायरे में कुल 32 रा सा क्षे उ में से 23 सक्रिय रा सा क्षे उ (18 सरकारी कम्पनियाँ, एक स नि अ क तथा चार सांविधिक निगम) तथा नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ (सात कम्पनियाँ जो परिसमापन के अधीन थीं सहित) शामिल थे। लेखों को तैयार करने में रा सा क्षे उ द्वारा अनुपालन की जाने वाली समयबद्धता की स्थिति निम्नानुसार है:

5.3.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा

सभी रा सा क्षे उ को 30 सितम्बर 2022 तक वर्ष 2021-22 के लेखा जमा करने थे। 32 रा सा क्षे उ में से 25 रा सा क्षे उ को (दो निष्क्रिय कम्पनियों[30] सहित) 2021-22 तक के अपने लेखे 30 सितम्बर 2022 तक जमा करने थे। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए केवल दो रा सा क्षे उ[31] ने 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत किए। रा सा क्षे उ के लेखों को जमा न करने की स्थिति इस प्रकार है:

- विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए 19 सरकारी कम्पनियों (एक स नि अ क तथा दो निष्क्रिय कम्पनियों सहित) के एक सौ तीस लेखे एक से 35 वर्ष तक 30 सितम्बर 2022 को बकाया थे।
- चार सांविधिक निगमों में से तीन सांविधिक निगमों[32] में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, जबकि एक सांविधिक निगम यथा उ. रा. भ. नि. के मामले में, सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा पूरक लेखापरीक्षा करता है। इन चार सांविधिक निगमों के पास 30 सितम्बर 2022 तक एक से छह साल तक के 12 लेखे बकाया थे। इसके अलावा, किसी भी सांविधिक निगम ने 30 सितम्बर 2022 तक वर्ष 2021-22 के लेखे सीएजी को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने रा सा क्षे उ द्वारा महालेखाकार कार्यालय को वार्षिक वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

30 सितम्बर 2022 तक रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत न किये गये लेखों का विवरण **तालिका-5.6** में दिया गया है:

तालिका-5.6: रा सा क्षे उ के बकाया लेखों का विवरण

विवरण	रा सा क्षे उ द्वारा लेखा प्रस्तुत करने की स्थिति			
	सरकारी कम्पनियाँ	स नि अ उ	सांविधिक निगमों	योग
31 मार्च 2022 तक सीएजी की लेखापरीक्षा में रा सा क्षे उ की संख्या	27	1	4	32
घटाएं: नए रा सा क्षे उ जिनके 2021-22 के लेखे बकाया नहीं थे।	**0**	**0**	**0**	**0**
घटाएं: परिसमापन के तहत रा सा क्षे उ जिनसे 2021-22 के लेखे देय नहीं थे।	7[33]	0	0	7
रा सा क्षे उ की संख्या जिनके 2021-22 के लेखे बकाया थे।	**20**	**1**	**4**	**25**
रा सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2022 तक वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए।	2[34]	0	0	2

[30] कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि. एवं टी सी एल

[31] यू. जे. वी. एन. एवं उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.

[32] उ प नि, उ. व. वि. नि. एवं पेयजल निगम के सम्बन्ध में, सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है उ. रा. भ. नि. के जबकि सम्बन्ध में, सीएजी वैधानिक लेखापरीक्षक प्रतिवेदनों पर पूरक टिप्पणियाँ जारी करता है

[33] यू. पी.ए. आई., उ. प्र. डि. लि., कुमट्रॉन, हिलट्रॉन, उ. प्र. हि. फ़ो. लि., उ. प्र. हि. क्वा. लि. एवं ग. अ. ज. ज. वि. नि..

[34] यू. जे. वी. एन. एवं उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.

विवरण		रा सा क्षे उ द्वारा लेखा प्रस्तुत करने की स्थिति			
		सरकारी कम्पनियाँ	स नि अ उ	सांविधिक निगमों	योग
कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे, दो निष्क्रिय कम्पनियों सहित		**18**	**1**	**4**	**23**
बकाया वार्षिक खातों की संख्या		129	1	12	142
बकाया का ब्यौरा	**(i) निष्क्रिय**	**57[35]**	**-**	**-**	**57**
	(ii) सक्रिय	**72**	**1**	**12**	**85**
	अ. तीन सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए[36]	**24**	**-**	**-**	**24**
	ब. अन्य	48	1	12	61
सक्रिय कम्पनियों के बकाया लेखों का आयुवार ब्यौरा					
एक वर्ष (2021-22) के लेखे		**8**	**1**	**1**	**10**
दो वर्ष (2020-21 तथा 2021-22) - दो कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के लेखे		4[37]	0	2	6
तीन वर्ष तथा अधिक-छह उपक्रमों के लेखे		**60**	**0**	**9**	**69**

उत्तराखण्ड़ सरकार ने विद्युत क्षेत्र के तीन में से दो रा सा क्षे उ को ₹ 37.94 करोड़ (इक्विटी: ₹ 35.00 करोड़, ऋण: शून्य, अनुदान: ₹ 2.94 करोड़ तथा सब्सिडी: शून्य) प्रदान किए थे, जिनके वर्ष 2021-22 के लेखों को 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि शेष एक विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ[38] में बकाया लेखों की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

आगे, उत्तराखण्ड़ सरकार ने 18 में से 10 विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ को ₹ 1,454.86 करोड़ (इक्विटी: ₹ 9.08 करोड़, ऋण: ₹ 103.85[39] करोड़, अनुदान: ₹ 1,145.41[40] करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 196.52[41] करोड़) प्रदान किए थे, जिनके वर्ष 2021-22 के लेखों को 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि उस अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र से अन्य के शेष आठ[42] रा सा क्षे उ जिनके लेखें बकाया थे में कोई निवेश नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का रा सा क्षे उ वार विवरण, जिसके लेखे बकाया थे, ***परिशिष्ट-5.6*** में दर्शाया गया है।

इन रा सा क्षे उ की गतिविधियों की देखरेख करने तथा निर्धारित अवधि के भीतर इन रा सा क्षे उ द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने तथा अंगीकृत जाने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागों की है। बकाया लेखों के संबंध में सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से अवगत कराया गया है।

इसके अलावा, 31 जनवरी 2022 को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा एक आभासी बैठक आयोजित की गई तथा सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड़ सरकार ने रा सा क्षे उ के एमडी/निदेशक (वित्त) के साथ भाग लिया जिसमें सचिव (वित्त) द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि रा सा क्षे उ के बकाया लेखों को मार्च 2022 तक तैयार/ प्रस्तुति कर ली जायेगी। हालांकि, रा सा क्षे उ द्वारा लेखों के बकाया को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

---

35 कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि. एवं टी सी एल

36 उ. अ. क. व. वि. नि. (2004-05 से), उ. ई. टी. डे. कॉ. (2016-17 से) एवं एस. प्ला. पा. लि. (2019-20 से)

37 बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि. एवं एस. प्ला. पा. लि.

38 कि. कॉ. लि.

39 ₹ 9.50 करोड़ + ₹ 94.35 करोड़

40 ₹ 1028.31 करोड़ + ₹ 115.00 करोड़ + ₹ 2.00 करोड़ + ₹ 0.10 करोड़.

41 ₹ 48.75 करोड़ + ₹ 60.25 करोड़ + ₹ 87.52 करोड़

42 इनमें एक रा सा क्षे उ, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम (उ. अ. क. व. वि. नि.) भी शामिल है जिसने न तो जानकारी दी और न ही अपना प्रथम लेखा प्रस्तुत किया।

5.3.2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के रिसाव का खतरा हो सकता है। बकाया लेखों की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हानि/लाभ सहित वास्तविक प्रदर्शन तथा लेखों की बकाया अवधि के दौरान इन 21 रा सा क्षे उ[43] का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का पता नहीं लगाया जा सका/राज्य विधानमंडल को सूचित नहीं किया जा सका। इन रा सा क्षे उ द्वारा लेखाओं को अन्तिम रूप देने तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेशों एवं व्ययों का समुचित लेखा-जोखा किया गया था तथा निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये थे। यह मुद्दा उन सांविधिक निगमों के मामले में अधिक चिंता का विषय है जहां प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी की है।

5.3.2.2 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

31 मार्च 2022 तक नौ रा सा क्षे उ (सरकारी कम्पनियाँ) ₹ 36.19 करोड़ के कुल निवेश (इक्विटी के रूप में ₹ 12.31 करोड़ तथा ₹ 23.88 करोड़ के दीर्घावधि ऋण) के साथ निष्क्रिय थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-5.2*** में वर्णित है। उ.स. ने इन निष्क्रिय रा सा क्षे उ में ₹ 36.19 करोड़ के निवेश में से ₹ 14.69 करोड़ का निवेश किया था। नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ में से सात[44] रा सा क्षे उ परिसमापन के अधीन थे। राज्य सरकार इन निष्क्रिय रा सा क्षे उ की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

5.4 निष्कर्ष

- 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) जिन्होंने 2019-20 तथा उसके बाद तक के अपने लेखे जमा किए थे, ₹ 8449.81 करोड़ थे। निवेश में इक्विटी के रूप में 42.16 *प्रतिशत* तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में 57.84 *प्रतिशत* शामिल था। इसमें से, उत्तराखण्ड सरकार ने इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 4393.17 करोड़ का निवेश किया था जिसमें ₹ 3553.58 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 839.59 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल थे।
- 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त लेखे के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों के आंकड़ों के बीच ₹ 569.98 करोड़ का अन्तर मौजूद था।
- आठ में से दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्होंने लाभ कमाया और जिसमें उत्तराखण्ड सरकार ने निवेश किया था, ने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश का भुगतान किया था।
- 31 मार्च 2022 तक, ₹ 1503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष सात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य (-) ₹ 3,404.00 करोड़ था।
- 23 सक्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए थे तथा शेष 21 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 85 लेखे बकाया थे। नौ निष्क्रिय राज्य के

---

[43] दो निष्क्रिय कम्पनियों कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि. (35 वर्षों का बकाया) एवं ट्रां. के. लि. (22 वर्षों का बकाया) को छोड़कर क्योंकि इन दोनो के निवेश की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[44] यू.पी.ए.आई., उ.प्र.डि.लि., कुमट्रोन, हिलट्रोन, उ.प्र.हि.फो.लि., उ.प्र.हि.क्वा.लि. तथा ग.अ.ज.ज.वि.नि.लि

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, (समापन के अधीन सात रा सा क्षे उ सहित), दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 57 लेखे बकाया थे। 2000-01 में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से पहले, उत्तराखण्ड सरकार ने नौ निष्क्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 14.69 करोड़ का निवेश किया था।

5.5 अनुशंसा

- ***उत्तराखण्ड सरकार के वित्त विभाग तथा सम्बन्धित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा बकाया प्रत्याभूति के आंकड़ों में अन्तर को समयबद्ध तरीके से सुलझाना चाहिए।***
- ***राज्य सरकार निवेश किये गये इक्विटी पर वापसी सुनिश्चित करने के लिये एक लाभांश नीति तैयार कर सकती है।***
- ***उत्तराखण्ड सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को सख्ती से निगरानी करनी चाहिए एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाकर अपने नियंत्रणाधीन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिए।***
- ***उत्तराखण्ड सरकार दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो काफी समय से निष्क्रिय हैं की परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में निर्णय ले सकती है तथा पहले से ही परिसमापन के तहत सात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसमापन प्रक्रिया में तेजी ला सकती हैं।***

देहरादून
दिनांक: 19 मई 2023

(प्रवीन्द्र यादव)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 जून 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक